

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/याँ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 23/08/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 20 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 275.685 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख अठसठ हजार पाँच सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	275.685

कुल आवंटित राशि - रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख अठसठ हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु 11486.06 लाख (एक सौ चौदाह करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1362 दि. 09.05.2016 2747(वि.) दि. 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

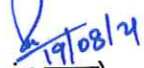
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 89

रॉची, दिनांक :- 23/08/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्नीरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/सिमडेगा/हजारीबाग/मधुपुर/गुमला/चाईबासा/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

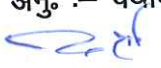

(प्रशांत कुमार)
सचिव

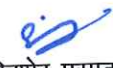
ज्ञापांक :- 89

रॉची, दिनांक :- 23/08/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिट्रिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 88 दिनांक: 23/08/21 का अनुदानक

मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग																	राशि लाख रुपये में		
वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें				विरुद शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय								विरुद शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुद शीर्ष-07-अन्य व्यय		कुल योग	अभिवृत्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियाया,दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां ईंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार						
0	कार्यालय का नाम	विपन कोड	48S2701030010 70101	48S27010300 1070110	48S270103001 070112	48S27010300 1070213	48S270103001 070315	48S27010300 1070316	48S270103001 070323	48S27010300 1070334	48S27010300 1070337	48S270103001 070442	48S270103001 070760	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	मुख्य अभिग, अभिम योजना, सौकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	22.000 6.000 28.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.400 0.500 0.900	0.000 0.000 0.000	0.000 0.400 0.000	0.100 0.150 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 0.500	0.000 0.000 0.000	23.300	7.450 30.750 121.300 22.200 143.500 159.300 3.500 162.800 29.200 17.200 46.400 20.900 3.100 24.000 148.000 1.700 149.700 161.000 51.800 212.800 126.000 34.970 160.970			
2	मुख्य अभिवंता जलसंसाधन विभाग, देवर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	20.000 20.000 140.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.300 0.600	0.500 0.000 0.900	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.200 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.300 0.500 0.800	0.000 0.000 0.100	143.500 159.300 3.500 162.800 29.200 17.200 46.400 20.900 3.100 24.000 148.000 1.700 149.700 161.000 51.800 212.800 126.000 34.970 160.970				
3	मुख्य अभिवंता जलसंसाधन विभाग, सौकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	158.000 0.000 158.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.500 1.000	0.300 0.800 1.100	0.400 0.700 1.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.400 0.400	0.200 0.300 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.800 1.300	0.000 0.100 0.100	162.800 29.200 17.200 46.400 20.900 3.100 24.000 148.000 1.700 149.700 161.000 51.800 212.800 126.000 34.970 160.970				
4	मुख्य अभिग यांत्रिक, सौकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	28.000 15.000 43.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	0.200 0.200 0.200	0.400 0.700 1.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.400 0.400	0.100 0.200 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.800 1.300	0.000 0.000 0.000	29.200 17.200 46.400 20.900 3.100 24.000 148.000 1.700 149.700 161.000 51.800 212.800 126.000 34.970 160.970				
5	अभिम योजना अवल सौकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	20.000 2.500 22.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.600 1.000	0.000 0.000 0.000	24.000 148.000 1.700 149.700 161.000 51.800 212.800 126.000 34.970 160.970				
6	जलपथ अवल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	147.000 0.000 147.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.200 0.400 0.200	0.300 0.800 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	0.100 0.200 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.700 0.400	0.100 0.100 0.000	149.700 161.000 51.800 212.800 126.000 34.970 160.970				
7	जलपथ अवल, सौकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	160.000 50.000 210.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.300 0.500	0.300 0.500 0.800	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.200	0.100 0.100 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.600 1.000 0.400	0.100 0.100 0.000	212.800 126.000 34.970 160.970				
8	जलपथ अवल, इजाराबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	125.000 32.820 157.820	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.200 0.800 1.000	0.300 0.500 0.800	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.100 0.100 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.700 0.000	0.000 0.000 0.000	160.970				

(संजय प्रसाद)
उप सचिव (अभिग)

(इयाम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभिग)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		विरुद्ध शीर्ष-07-विविध प्रकार		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बंदी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां खेपन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति				
0	कार्यालय का नाम	विषय कोड	49S270103001070101	49S270103001070110	49S270103001070112	49S270103001070115	49S270103001070316	49S2701030011070323	49S2701030011070333	49S2701030011070334	49S2701030011070337	49S270103001070442	49S270103001070750	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
9	सिंचाई यांत्रिक अंचल, खैली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	18.000 8.500 26.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.500 0.800	0.000 0.000 0.000	0.250 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.400 0.000	0.000 0.000 0.000	19.000 9.250 28.250					
10	अग्रिम योजना प्र०, खैली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	120.000 35.000 155.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	0.200 0.000 0.200	0.250 0.350 0.600	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	156.100 128.500 1.000					
11	जलपथ प्रमंडल सं.-2, कैनापुर गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	128.000 0.000 128.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.450 0.700 1.150	0.000 0.000 0.150	0.000 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.000	129.500 238.750 2.000					
12	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	238.000 0.000 238.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.300	0.000 0.000 2.000	240.750 67.450 0.100					
13	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	67.000 0.000 67.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.100	67.550 108.800 0.450					
14	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, खैली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	108.000 0.000 108.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.450 0.650	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.000	0.000 0.000 0.000	109.250 245.500 0.100					
15	पुनर्वासी स्वीकृति प्रमंडल, पुनारी देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	245.000 0.000 245.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.100	245.600 202.800 20.800					
16	विशेष न्यू-अर्जन पदा०, खैली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	202.000 20.000 222.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.450 0.650	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.000	0.000 0.200 0.000	223.600 240.500 0.450					
17	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	240.000 0.000 240.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.450 0.650	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	182.450 15.750 198.200					
18	सिंचाई प्रमंडल, सिकरिया	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	182.000 15.000 197.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.450 0.650	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.100						

(सचिव प्रसार)
उप सचिव (अभिनव)

(स्थायी प्रसार सिद्धि)
संयुक्त सचिव (अभिनव)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-विविध प्रकार		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं. 0	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलपीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विपुल व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अभिव्यक्ति		
	विवरण कोड																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	सिवाई प्रमंडल, सी-1, बरहेट	पूर्व का आवंटन	119.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.615	2.065		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.700	0.500	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.615	121.515		
		कुल आवंटन	119.000	0.000	0.900	0.750	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	193.800			
20	सिवाई यांत्रिक प्रमंडल, खैली	पूर्व का आवंटन	193.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	46.200			
		अतिरिक्त आवंटन	45.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	240.000	*		
		कुल आवंटन	238.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	1.300	0.000	275.685			
	अतिरिक्त आवंटन का योग		249.820	0.000	1.300	3.350	7.950	0.000	3.400	1.050	0.000	0.000	3.615				

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख अड़सठ हजार पाँच सौ मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

83
23/08/21

(रघुम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

19/08
सावित्रा कुमारी